



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक: सं.सं.वि.वि./सा. 2117/19

दिनांक: 10 मार्च 2019

सेवा में,

अध्यक्ष,
ग्रन्थालय एवं सूचना विज्ञान विभाग,
सं.सं.वि.वि. वाराणसी।

विषय : सत्र 2018-19 में अध्ययन-अध्यापन हेतु अतिथि व्याख्याता को आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अध्ययन-अध्यापन के हित में सत्र 2018-19 में अध्यापन कार्य हेतु पूर्व में प्रसारित आदेश संख्या सं.सं.वि.वि./सा. 1421/2018 दिनांक 31 अक्टूबर 2018 द्वारा आमंत्रित विद्वान श्री सुनील कुमार के अन्यत्र नियुक्त हो जाने के कारण आप द्वारा श्री संजीव कुमार सिंह का नाम संस्तुत कर प्रेषित किया गया है। आवश्यकता की दृष्टि में रखते हुये मा. कुलपति जी ने अपने आदेश दिनांक 06.03.2019 के द्वारा उपर्युक्त विद्वान को व्याख्यान हेतु आमंत्रित करने के लिए स्वीकृति प्रदान की है।

अतिथि व्याख्याता को प्रति व्याख्यान रु. 400/- जो प्रतिमाह रुपये 15000/- से अधिक नहीं होगा, मान देय होगा।

अतिथि व्याख्याता के पारिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रतिमाह के मानदेय बिल विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यसत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

कुलसचिव

सं.सं.वि.वि. वाराणसी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, कुलपति को, कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. प्रति कुलपति।
3. संकायाध्यक्ष, आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय।
4. उपकुलसचिव, लेखा।
5. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्तअधिकारी।
6. अधीक्षक (प्रशा./लेखा)।
7. सम्बद्ध पत्रावली।

कुलसचिव

सं.सं.वि.वि. वाराणसी

10.03.19



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक : सं.सं.वि.वि./सा. 1736 /2018

दिनांक : 10 दिसम्बर, 2018

सेवा में,

अध्यक्ष

साहित्य विभाग

सं.सं.वि.वि., वाराणसी।

विषय :- सत्र 2018-19 में अध्ययन-अध्यापन हेतु अतिथि व्याख्याता को आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अध्ययन-अध्यापन के हित में सत्र 2018-19 में अध्यापन की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए, सितार विषय के रिक्त पद के सापेक्ष आप द्वारा संस्तुत श्री शिवम मिश्रा को अतिथि व्याख्याता हेतु आमंत्रित करने के लिये माननीय कुलपति जी ने अपने आदेश दिनांक 10.12.2018 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की है।

अतिथि व्याख्याता को प्रति व्याख्यान रु. 400/- जो प्रतिमाह रु. 15000/- से अधिक नहीं होगा, मानदेय देय होगा।

अतिथि व्याख्याता के पारिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रतिमाह के मानदेय बिल विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. प्रतिकुलपति।
3. संकायाध्यक्ष- साहित्य संस्कृति संकाय।
4. उपकुलसचिव (लेखा)।
5. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
6. अधीक्षक (प्रशासन/लेखा)
7. सम्बद्ध पत्रावली।

कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी

10.12.18



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

दिनांक : 23 फरवरी, 2019

पत्रांक : सं.सं.वि.वि./सा. 2107 /2019

संशोधन-आदेश

सेवा में,

अध्यक्ष,

सामाजिक विज्ञान विभाग

सं.सं.वि.वि., वाराणसी।

महोदय,

पूर्व प्रसारित विश्वविद्यालयीय आदेश संख्या- सं.सं.वि.वि./सा. 995/2018 दिनांक 05 सितम्बर, 2018 में अतिथि व्याख्यता के रूप में आमंत्रित डॉ. भारती पाण्डेय का नाम त्रुटिवश डॉ. भारती अंकित हो गया है। इनका सही नाम डॉ. भारती पाण्डेय है।

अतएव पूर्व प्रसारित आदेश संख्या- सं.सं.वि.वि./सा. 995/2018 दिनांक 05 सितम्बर, 2018 उक्त आशय तक संशोधित समझा जाये।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. प्रतिकुलपति।
3. सम्बन्धित संकायाध्यक्ष।
4. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
5. उपकुलसचिव (लेखा)।
6. अधीक्षक, प्रशासन/लेखा।
7. सम्बद्ध पत्रावली।

1
कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी

कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक : स.सं.वि.वि./सा. 1651 /2018

दिनांक : 12 दिसम्बर, 2018

सेवा में,

अध्यक्ष

वेद विभाग

सं.सं.वि.वि., वाराणसी।

विषय :- सत्र 2018-19 में अध्ययन-अध्यापन हेतु अतिथि व्याख्याता को आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अध्ययन-अध्यापन के हित में सत्र 2018-19 में अध्यापन की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए वेद विभाग में रिक्त पद के सापेक्ष आप द्वारा संस्तुत डॉ. जयन्तपति त्रिपाठी को अतिथि व्याख्याता हेतु आमंत्रित करने के लिये माननीय कुलपति जी ने अपने आदेश दिनांक 11.12.2018 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की है।

अतिथि व्याख्याता को प्रति व्याख्यान रु. 400/- जो प्रतिमाह रु. 15000/- से अधिक नहीं होगा, मानदेय देय होगा।

अतिथि व्याख्याता के पारिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रतिमाह के मानदेय बिल विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

1

कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. प्रतिकुलपति।
3. संकायाध्यक्ष- वेद वेदांग संकाय।
4. उपकुलसचिव (लेखा)।
5. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
6. अधीक्षक (प्रशासन/लेखा)
7. सम्बद्ध पत्रावली।

कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी

11.12.18



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक : सं.सं.वि.वि./सा. 1736 /2018

दिनांक : 10 दिसम्बर, 2018

सेवा में,

अध्यक्ष

साहित्य विभाग

सं.सं.वि.वि., वाराणसी।

विषय :- सत्र 2018-19 में अध्ययन-अध्यापन हेतु अतिथि व्याख्याता को आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अध्ययन-अध्यापन के हित में सत्र 2018-19 में अध्यापन की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए, सितार विषय के रिक्त पद के सापेक्ष आप द्वारा संस्तुत श्री शिवम मिश्रा को अतिथि व्याख्याता हेतु आमंत्रित करने के लिये माननीय कुलपति जी ने अपने आदेश दिनांक 10.12.2018 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की है।

अतिथि व्याख्याता को प्रति व्याख्यान रु. 400/- जो प्रतिमाह रु. 15000/- से अधिक नहीं होगा, मानदेय देय होगा।

अतिथि व्याख्याता के पारिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रतिमाह के मानदेय बिल विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

1
कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. प्रतिकुलपति।
3. संकायाध्यक्ष- साहित्य संस्कृति संकाय।
4. उपकुलसचिव (लेखा)।
5. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
6. अधीक्षक (प्रशासन/लेखा)
7. सम्बद्ध पत्रावली।

कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी
10.12.18



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक : स.सं.वि.वि./सा. 1421 /2018

दिनांक : 31 अक्टूबर 2018

सेवा में,

अध्यक्ष

ग्रन्थालय एवं सूचना विज्ञान विभाग

स.सं.वि.वि., वाराणसी।

विषय :- सत्र 2018-19 में अध्ययन-अध्यापन हेतु अतिथि व्याख्याता को आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अध्ययन-अध्यापन के हित में सत्र 2018-19 में अध्यापन की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए आप द्वारा संस्तुत अधोलिखित अतिथि व्याख्याता को व्याख्यान हेतु आमंत्रित करने के लिये माननीय कुलपति जी ने अपने आदेश दिनांक 09.10.2018 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की है।

1. श्री सुनील कुमार

अतिथि व्याख्याता को प्रति व्याख्यान रू. 400/- जो प्रतिमाह रू. 15000/- से अधिक नहीं होगा, मानदेय देय होगा।

अतिथि व्याख्याता के पारिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रतिमाह के मानदेय बिल विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

कुलसचिव

स.सं.वि.वि., वाराणसी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- 31.10.18

1. संकायाध्यक्ष, आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय।
2. उपकुलसचिव (लेखा)।
3. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
4. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
5. अधीक्षक (प्रशासन/लेखा)
6. सम्बद्ध पत्रावली।

1
कुलसचिव

स.सं.वि.वि., वाराणसी



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

सेवा में,

अध्यक्ष

ग्रन्थालय एवं सूचना विज्ञान विभाग

सं.सं.वि.वि. वाराणसी

विषय - सत्र 2017-18 में अध्ययन-अध्यापन हेतु अतिथि व्याख्याताओं को आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शैक्षणिक सत्र 2017-18 में अध्ययन-अध्यापन की सुविधा की दृष्टि में ग्रन्थालय एवं सूचना विज्ञान विभाग में रिक्त 01 पद के सापेक्ष अतिथि व्याख्याता के रूप में चयन करने के लिए चयन समिति की बैठक दिनांक 12.09.2017 को सम्पन्न हुयी। चयन समिति की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में कुलपति महोदय ने अधोलिखित विद्वान पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है।

1. श्री विवेकानन्द सेठ

अतिथि व्याख्याताओं को पारिश्रमिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार देय होगा।

अतिथि व्याख्याताओं के पारिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रतिमाह के मानदेय बिल विभागाध्यक्षों द्वारा कार्य सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी

संख्या : सा.123/2017 दिनांक 17.09.2017

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
3. आशुलिपिक कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
4. अधीक्षक प्रशासन/लेखा।
5. सम्बद्ध पत्रावली।

कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक : स.सं.वि.वि./सा. 995 /2018

दिनांक : 05 सितम्बर, 2018

सेवा में,

अध्यक्ष

सामाजिक विज्ञान विभाग

स.सं.वि.वि., वाराणसी।

विषय :- सत्र 2018-19 में अध्ययन-अध्यापन हेतु अतिथि व्याख्याता को आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अध्ययन-अध्यापन के हित में सत्र 2018-19 में अध्यापन की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए आप द्वारा संस्तुत अधोलिखित अतिथि व्याख्याता को व्याख्यान हेतु आमंत्रित करने के लिये माननीय कुलपति जी ने अपने आदेश दिनांक 31.08.2018 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की है।

1. डॉ. (श्रीमती) भारती

अतिथि व्याख्याता को प्रति व्याख्यान रू. 400/- जो प्रतिमाह रू. 15000/- से अधिक नहीं होगा, मानदेय देय होगा।

अतिथि व्याख्याता के पारिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रतिमाह के मानदेय बिल विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

1
कुलसचिव

स.सं.वि.वि., वाराणसी

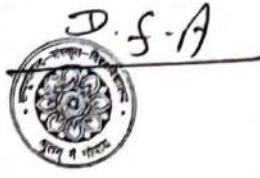
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान विभाग।
2. उपकुलसचिव (लेखा)।
3. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
4. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
5. अधीक्षक (प्रशासन/लेखा)
6. सम्बद्ध पत्रावली।

कुलसचिव

स.सं.वि.वि., वाराणसी

88
05.9.18



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक : सं.सं.वि.वि./सा. 865 /2018

दिनांक : 7 अगस्त, 2018

सेवा में,

अध्यक्ष

विज्ञान विभाग

सं.सं.वि.वि., वाराणसी।

विषय :- सत्र 2018-19 में अध्ययन-अध्यापन हेतु अतिथि व्याख्याता को आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अध्ययन-अध्यापन के हित में सत्र 2017-18 में अध्यापन कार्य कर चुके अतिथि व्याख्याता का नाम संस्तुत कर आप द्वारा प्रेषित किया गया है, उन विद्वान को आवश्यकता की दृष्टि में रखते हुये, सत्र 2018-19 में व्याख्यान हेतु आमंत्रित करने के लिये माननीय कुलपति जी ने अपने आदेश दिनांक 07.08.2018 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की है।

1. श्री शैलेन्द्र कुमार त्रिपाठी

अतिथि व्याख्याता को प्रति व्याख्यान ₹ 400/- जो प्रतिमाह ₹ 15000/- से अधिक नहीं होगा, मानदेय देय होगा।

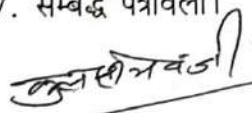
अतिथि व्याख्याता के पारिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रतिमाह के मानदेय बिल विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संकायाध्यक्ष, आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय।
2. विभागाध्यक्ष, विज्ञान विभाग।
3. उपकुलसचिव (लेखा)।
4. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
5. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
6. अधीक्षक (प्रशासन/लेखा)
7. सम्बद्ध पत्रावली।


कुलसचिव
7/8/18

कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक : सं.सं.वि.वि./सा. 824 /2018

दिनांक 30 जुलाई, 2018

सेवा में,

अध्यक्ष

तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग

सं.सं.वि.वि., वाराणसी।

विषय :- सत्र 2018-19 में अध्ययन-अध्यापन हेतु अतिथि व्याख्याता को आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अध्ययन-अध्यापन के हित में सत्र 2017-18 में अध्यापन कार्य कर चुके अतिथि व्याख्याता का नाम संस्तुत कर आप द्वारा प्रेषित किया गया है, उन विद्वान को आवश्यकता की दृष्टि में रखते हुये, सत्र 2018-19 में व्याख्यान हेतु आमंत्रित करने के लिये माननीय कुलपति जी ने अपने आदेश दिनांक 30.07.2018 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की है।

1. डॉ. इन्दुमति मिश्रा

अतिथि व्याख्याता को प्रति व्याख्यान ₹ 400/- जो प्रतिमाह ₹ 15000/- से अधिक नहीं होगा, मानदेय देय होगा।

अतिथि व्याख्याता के पारिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रतिमाह के मानदेय बिल विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग।
2. उपकुलसचिव (लेखा)।
3. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
4. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
5. अधीक्षक (प्रशासन/लेखा)
6. सम्यक् पत्रावली।

कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी

30.7.18



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक : सं.सं.वि.वि./सा. 800 /2018

दिनांक 29 जुलाई, 2018

सेवा में,

अध्यक्ष

न्याय वैशेषिक विभाग

सं.सं.वि.वि., वाराणसी।

विषय :- सत्र 2018-19 में अध्ययन-अध्यापन हेतु अतिथि व्याख्याताओं को आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अध्ययन-अध्यापन के हित में सत्र 2018-19 में अध्यापन की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए आप द्वारा संस्तुत अधोलिखित अतिथि व्याख्याताओं को व्याख्यान हेतु आमंत्रित करने के लिये माननीय कुलपति जी ने अपने आदेश दिनांक 26.07.2018 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की है।

1. डॉ. योगेश कुमार त्रिपाठी
2. डॉ. राजेश कुमार सिंह
3. डॉ. मुनीष कुमार मिश्र

अतिथि व्याख्याताओं को प्रति व्याख्यान रू. 400/- जो प्रतिमाह रू. 15000/- से अधिक नहीं होगा, मानदेय देय होगा।

अतिथि व्याख्याताओं के पारिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रतिमाह के मानदेय बिल विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, न्याय वैशेषिक विभाग।
2. उपकुलसचिव (लेखा)।
3. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
4. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
5. अधीक्षक (प्रशासन/लेखा)
6. सम्बद्ध पत्रावली।


प्रति- कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी


29.7.18



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

क्र.सं.वि.वि./सा. 802 /2018

दिनांक : 29 जुलाई, 2018

सेवा में,

अध्यक्ष

साहित्य विभाग

सं.सं.वि.वि., वाराणसी।

विषय :- सत्र 2018-19 में अध्ययन-अध्यापन हेतु अतिथि व्याख्याताओं को आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अध्ययन-अध्यापन के हित में सत्र 2017-18 में अध्यापन कार्य कर चुके अतिथि व्याख्याताओं में से जिन अधोलिखित विद्वानों का नाम संस्तुत कर आप द्वारा प्रेषित किया गया है, उन विद्वानों को आवश्यकता की दृष्टि में रखते हुये, सत्र 2018-19 में व्याख्यान हेतु आमंत्रित करने के लिये माननीय कुलपति जी ने अपने आदेश दिनांक 26.07.2018 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की है।

साहित्य

1. प्रो. प्रभु सिंह यादव (सेवा निवृत्त आचार्य)
2. डॉ. गिरीश दत्त पाण्डेय
3. डॉ. त्रिवेणी प्रसाद शुक्ल
4. डॉ. केशव ओझा
5. श्री राम अवध पाण्डेय

संगीत

- श्री अनूप कुमार मिश्र (कण्ठ संगीत)
श्री श्रीकान्त मिश्र (तबला)
सुश्री ममता यादव (सितार)

अतिथि व्याख्याताओं को प्रति व्याख्यान रू. 400/- जो प्रतिमाह रू. 15000/- से अधिक नहीं होगा, मानदेय देय होगा।

अतिथि व्याख्याताओं के पारिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रतिमाह के मानदेय बिल विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

॥ कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, साहित्य विभाग।
2. उपकुलसचिव (लेखा)।
3. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
4. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
5. अधीक्षक (प्रशासन/लेखा)
6. सम्बद्ध पत्रावली।

॥ कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी
29.7.18



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक : सं.सं.वि.वि./सा. 758 /2018

दिनांक : 24 जुलाई, 2018

सेवा में,

अध्यक्ष

संस्कृत विद्या विभाग

सं.सं.वि.वि., वाराणसी।

विषय :- सत्र 2018-19 में अध्ययन-अध्यापन हेतु अतिथि व्याख्याताओं को आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अध्ययन-अध्यापन के हित में सत्र 2017-18 में अध्यापन कार्य कर चुके अतिथि व्याख्याताओं में से जिन अधोलिखित विद्वानों का नाम संस्तुत कर आप द्वारा प्रेषित किया गया है, उन विद्वानों को आवश्यकता की दृष्टि में रखते हुये, सत्र 2018-19 में व्याख्यान हेतु आमंत्रित करने के लिये माननीय कुलपति जी ने अपने आदेश दिनांक 24.07.2018 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की है।

1. प्रो. गयाराम पाण्डेय (दर्शन संवर्ग)
2. डॉ. बालेश्वर झा (साहित्य संवर्ग)

अतिथि व्याख्याताओं को प्रति व्याख्यान ₹ 400/- जो प्रतिमाह ₹ 15000/- से अधिक नहीं होगा, मानदेय देय होगा।

अतिथि व्याख्याताओं के पारिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रतिमाह के मानदेय बिल विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

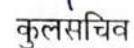


कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- 24.7.18

1. संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, संस्कृत विद्या विभाग।
2. उपकुलसचिव (लेखा)।
3. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
4. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
5. अधीक्षक (प्रशासन/लेखा)
6. सम्बद्ध पत्रावली।



कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी



D.F.A.-P.L.

24/7/18

24/7

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक : सं.सं.वि.वि./सा. 760 /2018

दिनांक : 24 जुलाई, 2018

सेवा में,

अध्यक्ष

जैन दर्शन विभाग

सं.सं.वि.वि., वाराणसी।

विषय :- सत्र 2018-19 में अध्ययन-अध्यापन हेतु अतिथि व्याख्याता को आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अध्ययन-अध्यापन के हित में सत्र 2017-18 में अध्यापन कार्य कर चुके अतिथि व्याख्याता का नाम संस्तुत कर आप द्वारा प्रेषित किया गया है, उन विद्वान को आवश्यकता की दृष्टि में रखते हुये, सत्र 2018-19 में व्याख्यान हेतु आमंत्रित करने के लिये माननीय कुलपति जी ने अपने आदेश दिनांक 24.07.2018 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की है।

1. डॉ. मुन्नी जैन

अतिथि व्याख्याता को प्रति व्याख्यान ₹ 400/- जो प्रतिमाह ₹ 15000/- से अधिक नहीं होगा, मानदेय देय होगा।

अतिथि व्याख्याता के पारिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रतिमाह के मानदेय बिल विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी

24-7-18

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, जैन दर्शन विभाग।
2. उपकुलसचिव (लेखा)।
3. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
4. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
5. अधीक्षक (प्रशासन/लेखा)
6. सम्बद्ध पत्रावली।

कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी

24-7-18



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक : सं.सं.वि.वि./सा. 759 /2018

दिनांक : 24 जुलाई, 2018

सेवा में,

अध्यक्ष

वेदान्त विभाग

सं.सं.वि.वि., वाराणसी।

विषय :- सत्र 2018-19 में अध्ययन-अध्यापन हेतु अतिथि व्याख्याताओं को आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अध्ययन-अध्यापन के हित में सत्र 2017-18 में अध्यापन कार्य कर चुके अतिथि व्याख्याताओं में से जिन अधोलिखित विद्वानों का नाम संस्तुत कर आप द्वारा प्रेषित किया गया है, उन विद्वानों को आवश्यकता की दृष्टि में रखते हुये, सत्र 2018-19 में व्याख्यान हेतु आमंत्रित करने के लिये माननीय कुलपति जी ने अपने आदेश दिनांक 24.07.2018 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की है।

1. प्रो. जयप्रकाश नारायण त्रिपाठी (सेवानिवृत्त आचार्य)
2. डॉ. शशिशेखर नाथ पाण्डेय
3. डॉ. श्यामाकान्त तिवारी

अतिथि व्याख्याताओं को प्रति व्याख्यान ₹ 400/- जो प्रतिमाह ₹ 15000/- से अधिक नहीं होगा, मानदेय देय होगा।

अतिथि व्याख्याताओं के पारिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रतिमाह के मानदेय बिल विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- 24.7.18

1. संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, वेदान्त विभाग।
2. उपकुलसचिव (लेखा)।
3. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
4. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
5. अधीक्षक (प्रशासन/लेखा)
6. सम्बद्ध पत्रावली।

कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

क्रांक : सं.सं.वि.वि./सा. 773 /2018

दिनांक : 24 जुलाई, 2018

सेवा में,

अध्यक्ष

प्राचीन राजशास्त्रार्थशास्त्र विभाग

सं.सं.वि.वि., वाराणसी।

विषय :- सत्र 2018-19 में अध्ययन-अध्यापन हेतु अतिथि व्याख्याताओं को आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अध्ययन-अध्यापन के हित में सत्र 2017-18 में अध्यापन कार्य कर चुके अतिथि व्याख्याताओं में से जिन अधोलिखित विद्वानों का नाम संस्तुत कर आप द्वारा प्रेषित किया गया है, उन विद्वानों को आवश्यकता की दृष्टि में रखते हुये, सत्र 2018-19 में व्याख्यान हेतु आमंत्रित करने के लिये माननीय कुलपति जी ने अपने आदेश दिनांक 24.07.2018 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की है।

1. पं. जगन्नाथ शास्त्री तैलंग
2. प्रो. पुरुषोत्तम प्रसाद पाठक
3. प्रो. जानकी प्रसाद द्विवेदी
4. डॉ. दिलीप पाण्डेय

अतिथि व्याख्याताओं को प्रति व्याख्यान ₹ 400/- जो प्रतिमाह ₹ 15000/- से अधिक नहीं होगा, मानदेय देय होगा।

अतिथि व्याख्याताओं के पारिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रतिमाह के मानदेय बिल विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी

24.7.18

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, प्राचीन राजशास्त्रार्थशास्त्र विभाग।
2. उपकुलसचिव (लेखा)।
3. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
4. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
5. अधीक्षक (प्रशासन/लेखा)
6. सम्बद्ध पत्रावली।

कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

सं.सं.वि.वि./सा. 757 /2018

दिनांक : 24 जुलाई, 2018

सेवा में,

अध्यक्ष

पुराणेतिहास विभाग

सं.सं.वि.वि., वाराणसी।

विषय :- सत्र 2018-19 में अध्ययन-अध्यापन हेतु अतिथि व्याख्याताओं को आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अध्ययन-अध्यापन के हित में सत्र 2017-18 में अध्यापन कार्य कर चुके अतिथि व्याख्याताओं में से जिन अधोलिखित विद्वानों का नाम संस्तुत कर आप द्वारा प्रेषित किया गया है, उन विद्वानों को आवश्यकता की दृष्टि में रखते हुये, सत्र 2018-19 में व्याख्यान हेतु आमंत्रित करने के लिये माननीय कुलपति जी ने अपने आदेश दिनांक 24.07.2018 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की है।

1. डॉ. उमापति उपाध्याय
2. डॉ. अशोक कुमार पाण्डेय

अतिथि व्याख्याताओं को प्रति व्याख्यान ₹ 400/- जो प्रतिमाह ₹ 15000/- से अधिक नहीं होगा, मानदेय देय होगा।

अतिथि व्याख्याताओं के पारिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रतिमाह के मानदेय बिल विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।


कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
24-7-18

1. संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, पुराणेतिहास विभाग।
2. उपकुलसचिव (लेखा)।
3. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
4. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
5. अधीक्षक (प्रशासन/लेखा)
6. सम्बद्ध पत्रावली।

1
कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक : स.सं.वि.वि./सा. 761 /2018

दिनांक : 24 जुलाई, 2018

सेवा में,

अध्यक्ष

पालि एवं थेरवाद विभाग

स.सं.वि.वि., वाराणसी।

विषय :- सत्र 2018-19 में अध्ययन-अध्यापन हेतु अतिथि व्याख्याता को आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अध्ययन-अध्यापन के हित में सत्र 2017-18 में अध्यापन कार्य कर चुके अतिथि व्याख्याता का नाम संस्तुत कर आप द्वारा प्रेषित किया गया है, उन विद्वान को आवश्यकता की दृष्टि में रखते हुये, सत्र 2018-19 में व्याख्यान हेतु आमंत्रित करने के लिये माननीय कुलपति जी ने अपने आदेश दिनांक 24.07.2018 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की है।

1. डॉ. राजेश कुमार श्रीवास्तव

अतिथि व्याख्याता को प्रति व्याख्यान ₹ 400/- जो प्रतिमाह ₹ 15000/- से अधिक नहीं होगा, मानदेय देय होगा।

अतिथि व्याख्याता के पारिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रतिमाह के मानदेय बिल विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी

24.7.18

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, पालि एवं थेरवाद विभाग।
2. उपकुलसचिव (लेखा)।
3. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
4. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
5. अधीक्षक (प्रशासन/लेखा)
6. सम्बद्ध पत्रावली।

कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

क्रांक : सं.सं.वि.वि./सा. 792 /2018

दिनांक : 25 जुलाई, 2018

सेवा में,

अध्यक्ष

आधुनिक भाषा एवं भाषा विज्ञान विभाग
सं.सं.वि.वि., वाराणसी।

विषय :- सत्र 2018-19 में अध्ययन-अध्यापन हेतु अतिथि व्याख्याताओं को आमंत्रित करने के सम्बन्ध में निर्गत पूर्व पत्रांक के त्रुटि सुधार के सम्बन्ध में।

महोदय,

पूर्व निर्गत पत्र संख्या सं.सं.वि.वि./सा. 766/2018 दिनांक 22 जुलाई, 2018 में टंकण त्रुटिवश भाषा विज्ञान विषय में अतिथि व्याख्याता का नाम डॉ. संजीव शर्मा के स्थान पर डॉ. संजीव वर्मा हो गया है। अतः इसे डॉ. संजीव शर्मा संशोधित समझा जाय।

एतदर्थ उपरोक्त पत्र उक्त आशय तक संशोधित समझा जाय।

कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष आधुनिक भाषा एवं भाषा विज्ञान विभाग।
2. उपकुलसचिव (लेखा)।
3. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
4. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
5. अधीक्षक (प्रशासन/लेखा)
6. सम्बद्ध पत्रावली।

कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी

25.7.18



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

क्र. : सं.सं.वि.वि./सा. 737 /2018

दिनांक : 22 जुलाई, 2018

सेवा में,

अध्यक्ष

वेद विभाग

सं.सं.वि.वि., वाराणसी।

विषय :- सत्र 2018-19 में अध्ययन-अध्यापन हेतु अतिथि व्याख्याताओं को आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अध्ययन-अध्यापन के हित में सत्र 2017-18 में अध्यापन कार्य कर चुके अतिथि व्याख्याताओं में से जिन अधोनिखित विद्वानों का नाम संस्तुत कर आप द्वारा प्रेषित किया गया है, उन विद्वानों को आवश्यकता की दृष्टि में रखते हुये, सत्र 2018-19 में व्याख्यान हेतु आमंत्रित करने के लिये माननीय कुलपति जी ने अपने आदेश दिनांक 21.07.2018 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की है।

1. डॉ. रामेन्द्र नाथ त्रिपाठी
2. डॉ. शरद कुमार नागर
3. डॉ. मिथिलेश कुमार पाण्डेय
4. डॉ. अमन्द मिश्र

अतिथि व्याख्याताओं को प्रति व्याख्यान रु. 400/- जो प्रतिमाह रु. 15000/- से अधिक नहीं होगा, मानदेय देय होगा।

अतिथि व्याख्याताओं के पारिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रतिमाह के मानदेय बिल विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

1
कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, वेद विभाग।
2. उपकुलसचिव (लेखा)।
3. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
4. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
5. अधीक्षक (प्रशासन/लेखा)
6. सम्बद्ध पत्रावली।


कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी

22.7.18



सम्पत् ज्योति संस्थान विश्वविद्यालय, वाराणसी

सं.सं.वि.वि./सा. 738 /2018

दिनांक : 22 जुलाई, 2018

मैंदा मे,

अध्यक्ष

ज्योतिष विभाग

सं.सं.वि.वि., वाराणसी।

विषय :- सत्र 2018-19 में अध्ययन-अध्यापन हेतु अतिथि व्याख्याताओं को आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अध्ययन-अध्यापन के हित में सत्र 2017-18 में अध्यापन कार्य कर चुके अतिथि व्याख्याताओं में से जिन अभिलिखित विद्वानों का नाम संस्तुत कर आप द्वारा प्रेषित किया गया है, उन विद्वानों को आवश्यकता की दृष्टि में रखते हुये, सत्र 2018-19 में व्याख्यान हेतु आमंत्रित करने के लिये माननीय कुलपति जी ने अपने आदेश दिनांक 21.07.2018 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की है।

1. प्रो. उमाशंकर शुक्ल (सेवा निवृत्त आचार्य)
2. डॉ. गोपाल पाण्डेकरकर
3. डॉ. अशोक कुमार मिश्र
4. डॉ. उपेन्द्र कुमार पाण्डेय
5. डॉ. माधवेन्द्र पाण्डेय

अतिथि व्याख्याताओं को प्रति व्याख्यान रु. 400/- जो प्रतिमाह रु. 15000/- से अधिक नहीं होगा, मानदेय देय होगा।

अतिथि व्याख्याताओं के पारिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रतिमाह के मानदेय बिल विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, सं.सं.वि.वि. विभाग।
2. उपकुलसचिव (लेखा)।
3. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
4. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
5. अधीक्षक (प्रशासन/लेखा)
6. सम्बद्ध पत्रावली।


कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी

22-7-18

1
कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

सं.सं.वि.वि./सा. 767 /2018

दिनांक : 22 जुलाई, 2018

मेंवा में,

अध्यक्ष

व्याकरण विभाग

सं.सं.वि.वि., वाराणसी।

विषय :- सत्र 2018-19 में अध्ययन-अध्यापन हेतु अतिथि व्याख्याताओं को आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अध्ययन-अध्यापन के हित में सत्र 2017-18 में अध्यापन कार्य कर चुके अतिथि व्याख्याताओं में से जिन अधोलिखित विद्वानों का नाम संस्तुत कर आप द्वारा प्रेषित किया गया है, उन विद्वानों को आवश्यकता की दृष्टि में रखते हुये, सत्र 2018-19 में व्याख्यान हेतु आमंत्रित करने के लिये माननीय कुलपति जी ने अपने आदेश दिनांक 21.07.2018 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की है।

नव्य व्याकरण	प्राचीन व्याकरण
1. प्रो. केदारनाथ त्रिपाठी (सेवा निवृत्त आचार्य)	1. डॉ. लक्ष्मीकान्त पाण्डेय
2. डॉ. हर्षवर्धन मिश्र	2. डॉ. अनन्त किशोर शर्मा
3. डॉ. दिव्य चेतन ब्रह्मचारी	3. डॉ. श्यामाकान्त पाण्डेय
4. डॉ. प्राण मोहन कुमार	4. डॉ. श्रवण दास श्री वैष्णव
5. डॉ. शेष नारायण मिश्र	

अतिथि व्याख्याताओं को प्रति व्याख्यान रु. 400/- जो प्रतिमाह रु. 15000/- से अधिक नहीं होगा, मानदेय देय होगा।

अतिथि व्याख्याताओं के पारिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रतिमाह के मानदेय बिल विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सत्पादन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, ~~वैद्य विभाग~~ ^{संस्कृत विभाग}।
2. उपकुलसचिव (लेखा)।
3. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
4. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
5. अधीक्षक (प्रशासन/लेखा)
6. सम्बद्ध पत्रावली।



कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी

22-7-18



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक : सं.सं.वि.वि./सा. 741 /2018

दिनांक : 22 जुलाई, 2018

मेंवा में,

अध्यक्ष

बौद्ध दर्शन विभाग

सं.सं.वि.वि., वाराणसी।

विषय :- सत्र 2018-19 में अध्ययन-अध्यापन हेतु अतिथि व्याख्याताओं को आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अध्ययन-अध्यापन के हित में सत्र 2017-18 में अध्यापन कार्य कर चुके अतिथि व्याख्याताओं में से जिन अधोलिखित विद्वानों का नाम संस्तुत कर आप द्वारा प्रेषित किया गया है, उन विद्वानों को आवश्यकता की दृष्टि में रखते हुये, सत्र 2018-19 में व्याख्यान हेतु आमंत्रित करने के लिये माननीय कुलपति जी ने अपने आदेश दिनांक 21.07.2018 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की है।

1. डॉ. लेख मणि त्रिपाठी
2. डॉ. शिवमणि उपाध्याय

अतिथि व्याख्याताओं को प्रति व्याख्यान रु. 400/- जो प्रतिमाह रु. 15000/- से अधिक नहीं होगा, मानदेय देय होगा।

अतिथि व्याख्याताओं के पारिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रतिमाह के मानदेय बिल विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, बौद्ध दर्शन विभाग।
2. उपकुलसचिव (लेखा)।
3. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
4. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
5. अधीक्षक (प्रशासन/लेखा)
6. सम्बद्ध पत्रावली।

कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी

22.7.18



संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक : सं.सं.वि.वि./सा. 766 /2018

दिनांक : 22 जुलाई, 2018

सेवा में,

अध्यक्ष

आधुनिक भाषा एवं भाषा विज्ञान विभाग

सं.सं.वि.वि., वाराणसी।

विषय :- सत्र 2018-19 में अध्ययन-अध्यापन हेतु अतिथि व्याख्याताओं को आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अध्ययन-अध्यापन के हित में सत्र 2017-18 में अध्यापन कार्य कर चुके अतिथि व्याख्याताओं में से जिन अभिलिखित विद्वानों का नाम संस्तुत कर आप द्राग प्रेषित किया गया है, उन विद्वानों को आवश्यकता की दृष्टि में रखते हुये, सत्र 2018-19 में व्याख्यान हेतु आमंत्रित करने के लिये माननीय कुलपति जी ने अपने आदेश दिनांक 21.07.2018 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की है।

क्र.सं.	नाम	विषय	क्र.सं.	नाम	विषय
1.	डॉ. संजीव तपा	भाषा विज्ञान	2.	डॉ. प्रवीण शुक्ल	भाषा विज्ञान
3.	डॉ. अजू भारती	भाषा विज्ञान	4.	डॉ. नीलम सिंह	हिन्दी
5.	डॉ. प्रेम निवास सिन्हा	जर्मन विषय	6.	डॉ. अनिल कुमार चतुर्वेदी	फ्रेन्च
7.	डॉ. धर्म प्रकाश मिश्र	रूसी	8.	डॉ. सुश्री यांगचेन सांगमो	तिब्बती
9.	डॉ. विश्वनाथ त्रिपाठी	नेपाली	10.	डॉ. अभिनव ओझा	अंग्रेजी

अतिथि व्याख्याताओं को प्रति व्याख्यान रु. 400/- जो प्रतिमाह रु. 15000/- से अधिक नहीं होगा, मानदेय देय होगा।

अतिथि व्याख्याताओं के पारिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रतिमाह के मानदेय बिल विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष आधुनिक भाषा एवं भाषा विज्ञान विभाग।
2. उपकुलसचिव (लेखा)।
3. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
4. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
5. अधीक्षक (प्रशासन/लेखा)।
6. सम्बद्ध पत्रावली।

कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी

22.7.18



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

क : स.सं.वि.वि./सा. 765 /2018

दिनांक : 22 जुलाई, 2018

सेवा में,

अध्यक्ष

धर्मशास्त्र विभाग

स.सं.वि.वि., वाराणसी।

विषय :- सत्र 2018-19 में अध्ययन-अध्यापन हेतु अतिथि व्याख्याताओं को आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अध्ययन-अध्यापन के हित में सत्र 2017-18 में अध्यापन कार्य कर चुके अतिथि व्याख्याता तथा सेवानिवृत्त आचार्य का नाम संस्तुत कर आप द्वारा प्रेषित किया गया है, उन विद्वानों को आवश्यकता की दृष्टि में रखते हुये, सत्र 2018-19 में व्याख्यान हेतु आमंत्रित करने के लिये माननीय कुलपति जी ने अपने आदेश दिनांक 21.07.2018 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की है।

1. प्रो. व्यास मिश्र (सेवा निवृत्त आचार्य)
2. श्री मनोज कुमार दुबे

अतिथि व्याख्याताओं को प्रति व्याख्यान रु. 400/- जो प्रतिमाह रु. 15000/- से अधिक नहीं होगा, मानदेय देय होगा।

अतिथि व्याख्याताओं के पारिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रतिमाह के मानदेय बिल विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सन्वापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, धर्मशास्त्र विभाग।
2. उपकुलसचिव (लेखा)।
3. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
4. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
5. अधीक्षक (प्रशासन/लेखा)
6. सम्बद्ध पत्रावली।

कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी

22.7.18



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक : सं.सं.वि.वि./सा. 672 /2018

दिनांक : 21 जुलाई, 2018

सेवा में,

अध्यक्ष

सांख्ययोग तन्त्रागम विभाग

सं.सं.वि.वि., वाराणसी।

विषय :- सत्र 2018-19 में अध्ययन-अध्यापन हेतु अतिथि व्याख्याताओं को आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अध्ययन-अध्यापन के हित में सत्र 2017-18 में अध्यापन कार्य कर चुके अतिथि व्याख्याताओं में से जिन अधोलिखित विद्वानों का नाम संस्तुत कर आप द्वारा प्रेषित किया गया है, उन विद्वानों को आवश्यकता की दृष्टि में रखते हुये, सत्र 2018-19 में व्याख्यान हेतु आमंत्रित करने के लिये माननीय कुलपति जी ने अपने आदेश दिनांक 19.07.2018 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की है।

1. डॉ. सुनील कुमार उपाध्याय
2. डॉ. जीवेश झा
3. श्री अमित कुमार मिश्र

अतिथि व्याख्याताओं को प्रति व्याख्यान रू. 400/- जो प्रतिमाह रू. 15000/- से अधिक नहीं होगा, मानदेय देय होगा।

अतिथि व्याख्याताओं के पारिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रतिमाह के मानदेय बिल विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, सांख्ययोगतन्त्रागम विभाग।
3. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
4. उपकुलसचिव (लेखा)।
5. अधीक्षक (प्रशासन/लेखा)
6. सम्बद्ध पत्रावली।

कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी
21.7.18



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक : स.सं.वि.वि./सा. 1737 /2018

दिनांक : ०९ दिसम्बर, 2018

सेवा में,

अध्यक्ष

शिक्षाशास्त्र विभाग

स.सं.वि.वि., वाराणसी।

विषय :- सत्र 2018-19 में अध्ययन-अध्यापन हेतु अतिथि व्याख्याताओं को आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अध्ययन-अध्यापन के हित में सत्र 2018-19 में अध्यापन की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए, रिक्त पदों के सापेक्ष आप द्वारा संस्तुत अधोलिखित विद्वानों को व्याख्यान हेतु आमंत्रित करने के लिये माननीय कुलपति जी ने अपने आदेश दिनांक 07.12.2018 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की है।

1. श्री सन्तोष कुमार पुत्र श्री दशरथ लाल
2. डॉ. शुभ्रा मिश्रा पत्नि श्री राजेश कुमार मिश्र

अतिथि व्याख्याताओं को प्रति व्याख्यान रू. 400/- जो प्रतिमाह रू. 15000/- से अधिक नहीं होगा, मानदेय देय होगा।

अतिथि व्याख्याताओं के पारिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रतिमाह के मानदेय बिल विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सत्यापन के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से किया जायेगा।

कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. प्रतिकुलपति।
3. संकायाध्यक्ष- आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय।
4. उपकुलसचिव (लेखा)।
5. आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
6. अधीक्षक (प्रशासन/लेखा)
7. सम्बद्ध पत्रावली।

कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी

०९.१२.१८



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक - एस.एस.वि.वि./सा. 812 /2018

दिनांक 29 जुलाई, 2018

सेवा में,
अध्यक्ष,
शिक्षाशास्त्र विभाग
स.सं.वि.वि., वाराणसी

विषय :- सत्र 2018-19 में अध्ययन-अध्यापन हेतु अतिथि व्याख्याताओं को आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शैक्षणिक सत्र 2018-19 में अध्ययन-अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से शिक्षाशास्त्र विभाग में रिक्त 06 पदों के सापेक्ष अतिथि व्याख्याता के रूप में चयन करने के लिए चयन समिति की बैठक दिनांक 26.07.2018 को सम्पन्न हुई। चयन समिति की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में माननीय कुलपति जी ने अधोलिखित अतिथि व्याख्याताओं के पैनल को स्वीकृति प्रदान की है :-

1. श्री कृष्ण कुमार
2. श्री इन्द्रजीत सिंह
3. डॉ. राजेश कुमार
4. डॉ. पवन कुमार सिंह

अतिथि व्याख्याताओं के प्रति व्याख्यान रूपये 400/- जो प्रतिमाह रूपये 15,000/-से अधिक नहीं होगा, मानदेय देय होगा।

अतिथि व्याख्याताओं के परिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रतिमाह के मानदेय बिल विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य सत्यापित के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।


सं.सं.वि.वि., वाराणसी

26-7-18

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
2. उपकुलसचिव, लेखा।
3. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
4. आशुलिपिक कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
5. अधीक्षक (प्रशासन/लेखा)।
6. सम्बद्ध पत्रावली।

कुलसचिव

सं.सं.वि.वि., वाराणसी



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

सेवा में,

अध्यक्ष

शिक्षाशास्त्र विभाग

सं.सं.वि.वि., वाराणसी

विषय - सत्र 2017-18 में अध्ययन-अध्यापन हेतु अतिथि व्याख्याताओं के आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शैक्षणिक सत्र 2017-18 में अध्ययन-अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से शिक्षाशास्त्र विभाग में रिक्त 4 पदों के सापेक्ष अतिथि व्याख्याताओं के रूप में चयन करने के लिए चयन समिति की बैठक दिनांक 17.08.2017 को सम्पन्न हुई। चयन समिति की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में कुलपति महोदय ने अधोलिखित विद्वानों के पैनल पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है-

- 1- श्री पवन कुमार पाण्डेय
- 2- श्री जितेन्द्र कुमार चौरसिया
- 3- श्री सन्तोष कुमार पुत्र श्री दशरथ लाल
- 4- कु. खुशबू

प्रतिक्षा सूची -

- 1- डा. पूनम सिंह
- 2- सुश्री आरती उपाध्याय
- 3- श्री रविरंजन सिंह
- 4- श्री संतोष कुमार पुत्र श्री हरिशरण दास

अतिथि व्याख्याताओं को पारिश्रमिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार देय होगा।

अतिथियों व्याख्याताओं के पारिश्रमिक भुगतान से सम्बन्धित प्रतिमाह के मानदेय बिल विभागाध्यक्षों द्वारा कार्य सत्यापित के उपरान्त लेखानुभाग के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी

संख्या सा. 925/2017, दिनांक 20.08.2017
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, कुलपति, कुलपतिजी के अवलोकनार्थ।
2. सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
3. आशुलिपिक कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
4. उप कुलसचिव(लेखा)।
5. अधीक्षक प्रशासन/लेखा।
6. सम्बद्ध पत्रावली।

कुलसचिव
सं.सं.वि.वि., वाराणसी